तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज **सोनिया उर्फ सोना बनाम हिंगोला वगैरह, मुकदमा संख्या :– 74/2014**	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीली में जारी हुए
17.02.2025		

अधिवक्ता प्रार्थीया ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि सरहद मौजा सरहद प्रतापपुरा, पटवार क्षेत्र विरोल में मुझ प्रार्थी के बाद दादों की पुश्तैनी भूमि खसरा संख्या 34 रकबा 1.73 हैक्टेयर, खसरा संख्या 42/675 रकबा 0.05 हैक्टेयर जुमले रकबा 1.78 हैक्टेयर में 1/2 हिस्सा मुझ प्रार्थी के मालिकाना हक हकूक व पुश्तैनी कब्जा काश्त आया हुआ है। उक्त हिस्से अनुसार मैं प्रार्थी वक्त जागीरी के आज दिन तक सदैव लगान अदा करता आ रहा है तथा इसी अनुसार मुझ प्रार्थी के नाम गिरदावरी भी होती आ रही है। प्रार्थना–पत्र में आगे उक्त आराजी को वादग्रस्त आराजी के नाम से उल्लेखित किया जाएगा। वादग्रस्त आराजी के मूल पुराना खसरा संख्या 4 रकबा 73 बीघा 18 बिस्वा भूमि में 1/2 हिस्सा मुझ प्रार्थी की पुश्तैनी मालिकाना हक हकूक एवं कब्जा काश्त की आई हुई है व थी जो सलंग्न जमाबंदी संवत् 2023 से 2026 से स्पष्ट है लेकिन उक्त भूमि में से कुछ भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज हो गई। शेष भूमि 46 बीघा मुझ प्रार्थी के मालिकाना हक हकूक व कब्जा काश्त की चली आ रही है तथा इस प्रकार आज भी मौके पर उक्त भूमि के 1/2 हिस्से पर मुझ प्रार्थी का सहज एवं शांतिपूर्वक निर्बाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है जो बदस्तूर है। द्वितीय सेटलमेंट के दौरान सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा रेकर्ड तजवीज करते वक्त वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से में मुझ प्रार्थी का नाम विधिवत कब्जा काश्त अनुसार पूर्व जमाबंदी के हिस्से माफिक दर्ज करना था जो नहीं कर सेटलमेंट अधिकारियों ने मुझ प्रार्थी को अपने हक हकूकों से अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ने मिलावट कर वंचित करने के लिए वादग्रस्त संपूर्ण आराजी में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 का नाम राजस्व रेकर्ड में अवैध व कानूनी सिद्वान्तों के विपरित लिखा गया जबकि वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्से का मालिकाना हक हकूक व कब्जा काश्त मुझ प्रार्थी का होते हुए भी संपूर्ण भूमि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ने अपने नाम मिलावटी व मिथ्या तौर से अवैध रूप से दर्ज करवा दी जो सरासर गलत दर्ज करवाई। ऐसे अवैध व गैर कानूनी दर्ज करवाए गए इन्द्राज से अप्रार्थी को कोई हक हकूक या अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि मौजा प्रतापपुरा, पटवार क्षेत्र विरोल में स्थित मुझ प्रार्थी का मालिकाना हक हकूक व पुश्तैनी कब्जा काश्त का खेत खसरा संख्या 34 रकबा 1.73 हैक्टैयर, खसरा संख्या 42/675 रकबा 0.05 हैक्टेयर जुमले रकबा 1.78 हैक्टेयर भूमि का अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 किसी प्रकार बेचान, हस्तांतरण, रहन, बख्शीश, तर्क इत्यादि नहीं करें तथा ना ही करावें तथा न ही अप्रार्थी संख्या 4 व 5 उपरोक्त वादग्रस्त आराजी का किसी प्रकार का बेचान, बंटवाड़ा, रहन इत्यादि किसी प्रकार का दस्तावेज पंजियन नहीं करें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने उक्त तथ्यों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र सारहीन, बलहीन व मनगंढत तथ्यों पर आधारित होने से खारिज फरमावें तथा उक्त प्रकरण में जारी अस्थाई अंतिरम निषेधाज्ञा आदेश भी गलत होने से निरस्त फरमावें।

मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरणा व सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि उक्त वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 34, 42/675 का अप्रार्थी संख्या 1 से 3 बेचान/रहन नहीं करे तथा अप्रार्थी संख्या 4 व 5 राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें एवं पंजीयन की कार्यवाही नहीं करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) सांचौर, जिला–सांचौर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) सांचौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.04.24 17:02:32 IST
Reason: SelfAttested